

Received  
फोटो  
24/09/2022

974

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4  
लाइसेंस सं०-डब्ल्यू०पी०-41  
(लाइसेंस टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेंट)



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 18, 1944 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन, मथुरा

25 जून, 2022 ई०

तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण लाइसेंस उपविधि, 2021

सं० 321/न०स्वा०अधि०का०/न०नि०म०वृ-मथुरा/2022-23-उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1080/नौ-9-21-121ज/20 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2021 के अनुपालन में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा (COTPA) के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेताओं के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) एवं 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा अधिनियम की धारा 541 (20) के अन्तर्गत उपविधि, 2021 तैयार की गयी है जो मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25 जून, 2021 प्रस्ताव संख्या 12 एवं मा० सदन अधिवेशन दिनांक 14 जुलाई, 2021 के विशेष प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा स्वीकृति की गयी है।

उक्त उपविधि के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु तीन समाचार-पत्रों दैनिक "अमर उजाला", "दैनिक जागरण", एवं "राजपथ" में दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित कराया गया तदोपरान्त निर्धारित 30 दिन की अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव नगर निगम मथुरा वृन्दावन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

तदोपरान्त उक्त उपविधि को कार्यकारिणी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 द्वारा अनुमोदित किया गया, तथा मा० सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपने प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2021 कही जायेगी।

पे. 21.2 निर्धारण

54 ट

24-9/22  
श्रीमान

- (2) इसका विस्तार नगर निगम मथुरा वृन्दावन के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
- (3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

## 2-तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता-

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- (3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है नगर निगम मथुरा वृन्दावन से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।
- (4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।
- (5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।
- (6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकान हो सकती है।

## 3-वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क-

- (1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 500.00 (रु0 पाँच सौ) स्थाई दुकानों हेतु रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) थोक स्थाई दुकानदारों के लिए रु0 5,000.00 (रु0 पाँच हजार) होगा।
- (2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रु0 5,000.00, फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रु0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रु0 100.00 होगा।
- (3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

## 4-तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन-

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा-

- (1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जाएगी।
- (2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।
- (3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी।
- (4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित होगी।

## 5-नियम एवं शर्तें-

- (1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।
- (2) पंजीकरण दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।
- (3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।
- (4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।
- (5) किन्ही भी परिस्थितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा-निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।
- (6) तम्बाकू उत्पादक की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा निलम्बन कार्यवाही की जाएगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होंगी,

जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रु0 5,000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चैतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

#### 6-पंजीकरण प्रक्रिया-

(1) नगर निगम मथुरा वृन्दावन में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/ अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम मथुरा वृन्दावन के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संन्दर्भ में नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

#### 8-नामित अधिकारी-

नगर निगम मथुरा वृन्दावन में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनज्ञप्ति लाइसेंस जारी करेंगे जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

#### 9-वैंडर लाइसेंस लागू करने की समयवधि-

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम मथुरा के माननीय सदन में अनुमोदित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

ह0 (अस्पष्ट),

नगर आयुक्त,

मथुरा वृन्दावन, मथुरा।

### कार्यालय, नगर निगम, शाहजहांपुर

28 जून, 2022 ई0

#### नगर निगम शाहजहांपुर के अकेन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्तिक लाभ विनियमावली, 2019

सं0 165/पे0वि0/न0नि0 शाहजहांपुर/2022-नगर निगम शाहजहांपुर के पदाधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्तिक सुविधा भविष्य निधि विनियम 2019 उ0प्र0 नगर निगम, शाहजहांपुर अधिनियम, 1995 की धारा 548 (1) (च) (छ)-

(1) यह विनियम नगर निगम, शाहजहांपुर कर्मचारी सेवानिवृत्तिक सुविधा तथा भविष्य निधि अधिनियम, 2019 कहलायेगा।

(2) यह नगर निगम, शाहजहांपुर के गठन दिनांक 25 अप्रैल, 2018 से लागू समझा जाये और उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनकी नियुक्ति 01 अप्रैल, 2006 से पूर्व हुई है तथा जिन्हें भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त हो रही है।

(3) नगर निगम, शाहजहांपुर से सेवानिवृत्त पेंशन धारकों पर नगर निगम से सेवानिवृत्त तथा उसमें समय-समय पर उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये संशोधन लागू होंगे।

#### 2-परिभाषाये-जब तक उक्त विषयक व संन्दर्भ में कोई वाद इन नियमों में प्रतिकूल न हो-

(i) अधिनियम अथवा एक्ट से तात्पर्य नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(ii) औसत परिलब्धियों (एवरेज इमालुमेंट्स) से तात्पर्य है सेवानिवृत्ति के मास से पूर्व दस माह में प्राप्त परिलब्धियों का औसत अथवा देय अंतिम मासिक परिलब्धियों, इनमें से जो अधिक हो, से है यदि इन दस माहों में छुट्टी का समय सम्मिलित हो तो उस समय के लिये यदि वह छुट्टी पर न रहा होता तो स्थायी नियुक्ति के लिये उसे जो परिलब्धियाँ प्राप्त होती वे परिलब्धियाँ उस समय की परिलब्धियाँ समझी जायेंगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है यदि सेवानिवृत्ति के माह से पूर्व दस मासों में सम्बन्धित कर्मचारी पदोन्नत हुआ हो तो ऐसी स्थिति में दस माह में प्राप्त परिलब्धियों के औसत को ही औसत परिलब्धि माना जायेगा, भले ही अंतिम परिलब्धियाँ उससे अधिक हों।

15 दि0ग0-5

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा 577 (ड) में वर्णित किसी अधिकारी/कर्मचारी के विषय में यदि नियत दिन के पूर्व स्थायी हो चुका हो तो औसत परिलब्धियां निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन में उसके पश्चात् नगर निगम के अन्तर्गत की गयी सेवा के समय स्थायी नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिलने वाला वेतन स्थायी वेतन माना जायेगा।

(iii) **परिलब्धियाँ (इमालुमेंन्ट्स) से तात्पर्य—**

(क) पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि मूलनियम 9 (21) (1) में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार है, और जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(ख) मंहगाई भत्ता अथवा तत्समय अन्य भत्ता, यदि कोई हो जो कर्मचारी/अधिकारी को प्रतिमाह उसकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु जैसी भी दशा हो, के समय उसे प्राप्त (एडमिसिबल) हों।

(iv) परिवार में किसी अधिकारी/कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होंगे—

(क) पत्नी, (पुरुष अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में)।

(ख) पती, (स्त्री अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में)।

(ग) पुत्र।

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियां (उसमें सौतेले बच्चे और गोद लिए बच्चे भी सम्मिलित होंगे)।

(ड) भ्राता 18 वर्ष के कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा बहन (जिनमें सौतेले भाई तथा सौतेले बहनें सम्मिलित होंगी)।

(च) पिता।

(छ) माता।

(ज) विवाहित पुत्रियों, जिनमें सौतेले पुत्रियों सम्मिलित होंगी।

(झ) पूर्व मृत पुत्र की बच्चे।

(v) **मुख्य नगर लेखा, परीक्षक**—मुख्य नगर लेखा परीक्षक का तात्पर्य नगर निगम में नियुक्त मुख्य नगर लेखा परीक्षक से है।

(vi) **लेखाधिकारी**—लेखाधिकारी का तात्पर्य नगर निगम में नियुक्त लेखाधिकारी से है।

(vii) निवृत्त वेतनीय पद (पेंशनेबल पोस्ट) से तात्पर्य है—

(क) पूर्व नगर पालिका का कोई स्थायी पद जिस पर भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त हो और अधिनियम की धारा 577 (ड) के अन्तर्गत नगर निगम में बना रहे।

(ख) अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा सृजित कोई स्थायी पद।

(viii) अर्हकारी सेवा का (क्वालीफाईंग सर्विस) से तात्पर्य उस सेवा से है जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम 368 के अनुसार सेवानिवृत्त वेतन प्राप्ति के योग्य बनाती, यदि संबंधित सेवा सरकार के अन्तर्गत होती, तथा उस सेवा से भी है जिसका प्राविधान उस विनियम के अन्तर्गत समय-समय पर किया जाये।

उपबन्ध यह भी है कि नगरपालिका परिषद अथवा नगर निगम में किसी एक पद अथवा अन्य पद पर बिना व्याघात के, अथवा स्थानापन्न सेवा के पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के सहित अर्हकारी सेवा समझी जायेगी।

(IX) सेवा-निवृत्त से तात्पर्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का नगर निगम की सेवा-अवधि पूर्ण करने पर बाध्य किये जाने पर, सवेच्छा से अथवा स्थायी नियुक्ति वाले स्थायी पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थायी पद पर न हो सकने अथवा उसका पूर्व स्थायी पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित न हो, दशा में सेवानिवृत्त होने से होगा।

3-यह विनियम जिन कर्मचारी पर लागू होगा उनके मूल वेतन के उच्चतम तथा मंहगाई भत्ते के योग का 15 प्रतिशत के अनुसार गणना करके पेंशन अंशदान के रूप में नगर निगम द्वारा वेतन निधि में स्थानान्तरित किया जाएगा। यदि पेंशन के अंशदान की धन राशि पेंशन के लिए पूर्ण नहीं है। तो नगर निगम अपने निजी श्रोतों से राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कम पड़ रही धनराशि पेंशन निधि में स्थानान्तरित कर पेंशन एवं उपादान का भुगतान कर सकती है।

#### 4-मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपादान (डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी)-

(i) जिन कर्मचारीयों/अधिकारियों पर यह विनियम लागू होंगे, उनको सेवानिवृत्ति पर नगर निगम से अतिरिक्त उपादान भी दिया जायेगा जो उनकी मासिक परिलब्धियों के  $16\frac{1}{2}$  (साढ़े सोलह) गुना से अधिक न होकर वह धन होगा, जो उनकी मासिक परिलब्धि के  $\frac{1}{4}$  को उनके द्वारा की गयी अर्हकारी सेवा के पूर्ण अर्द्धवार्षिक काल की संख्या को गुणा करने से प्राप्त होगा।

**उदाहरणार्थ-**यदि मूल निवास 9 (21) (1) वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 2 से 4 में परिभाषित वेतन रु० 1666.00 एवं पेंशन की अर्हकारी सेवा 30 वर्ष 6 माह है तो सेवानिवृत्ति उपादान रु०  $1666 \times 61 / 4 =$  रु० 24,315.00 होगी।

(ii) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा नामित किये गये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, जिन्हे उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या 05 के उपनियम (1) से (8) तक के विनियम (9) में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा। मृत्यु उपादान की दर सेवा अवधि के अनुसार निम्न प्रकार हैं-

(क) एक वर्ष से कम सेवाअवधि-परिलब्धियों का दो गुना

(ख) एक वर्ष अथवा उससे अधिक-किन्तु पांच वर्ष से कम परिलब्धियों का छः गुना

(ग) पांच वर्ष अथवा उससे अधिक-किन्तु बीस वर्ष से कम परिलब्धियों का बारह गुना

(घ) बीस वर्ष अथवा उससे अधिक-अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों  $1/2$  के बराबर होगा। अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों के समान होगा।

#### 5-नामांकन (नामिनेशन)-

(1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी, जिस पर वह विनियम लागू हो, ज्यों ही वह किसी स्थायी सेवा-निवृत्त वेतनीय पद पर ग्रहणाधिकार (लियन), प्राप्त करें एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिसे विनियम 4 के उप विनियम (2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जायेगा अथवा वह उपादान जो उस विनियम 4 के उपनियम (1) अंतर्गत प्राप्य हो और उसे उसकी मृत्यु के पूर्व न दिया गया हो प्राप्त करने के लिए नामांकित करेगा।

प्रतिबंध यह है कि नामांकन करते समय अधिकारी/कर्मचारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य को अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के किसी एक सदस्य को अथवा अधिक सदस्यों को कर सकता है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी-**यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में ही कर सकता है किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा-निवृत्त के बाद भी नगर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से पूर्व नामांकन-पत्र के नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करने दिया जा सकता है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी ऊपर के उपविनियम के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है। तो उस नामांकन-पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि अथवा भाग को इस प्रकार स्पष्ट करना होगा जिससे उपादान का पूरा धन वितरित हो जाये।

(3) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी नामांकन व्यवस्था कर सकेगा-

(क) किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति को, अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन-पत्र में दिये हुए किसी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति को हो जावे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त अन्य न होगा।

(ख) यह कि ऊपर कही हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जब उसके परिवार नहीं था अथवा नामांकन में उपविनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था जब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाय, अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाय।

(5) (क) प्रत्येक नामांकन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो, किया जायेगा।

(ख) कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रद्द कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी/कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन-पत्र इन विनियमों के अनुसार उस नोटिस दिए जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर नगर आयुक्त को प्रेषित कर दें।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति, जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात् दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन-पत्र में उप नियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की गयी हो अथवा किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकन उपविनियम 3 के खण्ड (ख) अथवा उप नियम (4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी नगर आयुक्त को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए इन विनियमों के अनुसार नये नामांकन-पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेगा।

(7) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन-पत्र अथवा उसको रद्द करने का नोटिस सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा तदर्थ मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन-पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे तथा अपने संरक्षण में रखेंगे।

(8) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रद्द किये जाने की नोटिस जहाँ तक यह वैध (वैलिड) हो नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होंगे।

(9) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसका परिवार हो, अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवा-निवृत्ति उपादान (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) पाने का नामांकन-पत्र द्वारा अधिकारी दिये बिना मृत हो जाये तो उपादान (ग्रेच्युटी) विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के क्रम (क) से (घ) तक दिये सभी जीवित सदस्यों को, विधवा पुत्री को छोड़कर समान भाग में वितरित कर दिया जायगा। यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हो और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियां हो तथा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार में उपरोक्त उपनियम 2(4) (श्रेणी के क्रम (ङ) से (झ) में वर्णित) एक से अधिक सदस्य हों तो उपादान (ग्रेच्युटी) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बांट दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में नगर पालिका/नगर निगम के सदस्य ग्राम सभापति, तहसीलदार, अन्य राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

#### 6-पारिवारिक पेंशन-

आस्थाई कर्मचारी/अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी, किन्तु स्थाई सेवकों की सेवाकाल में या उसके बाद मृत्यु हो जाने पर यह पेंशन देय है।

पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगी। यह धनराशि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम रु0 3,500.00 प्रतिमाह तथा अधिकतम रु0 24,000.00 जबकि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार रु0 9,000.00 प्रतिमाह होगी और अधिकतम राशि सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी। उसके अतिरिक्त समय-समय पर देय महंगाई राहत भी देय होगा।

पारिवारिक पेंशन परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से किसी एक को ही एक समय में, देय होगी। इस संबंध में परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा-

#### वर्ग-1

(क) विधवा/विधुर आजन्म, अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकापार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

**वर्ग-II**

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग I से आच्छादित नहीं है को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहें हो तथा मृत कर्मचारी ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर/अथवा बच्चे न छोड़े हों। वर्ग II से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के पारिवार में ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो।

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी, अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे का अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

**(ङ) सन्तानहीन विधवा-**

पारिवारिक पेंशन का भुगतान सन्तानहीन विधवा को उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी स्रोतों से व्यक्तिगत आय, पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बारबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी, उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जायेगी।

इस प्रकार के प्रकरणों में विधवा को नगर निगम में प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

**(च) विकलांग सन्तान-**

यदि किसी मृतक कर्मचारी के परिवार में कोई विकलांग सन्तान है, तो उसको जीवन पर्यन्त पारिवारिक पेंशन देय होगी। विकलांग यदि सौ प्रतिशत है। तो पूर्ण पारिवारिक पेंशन देय होगी। इस संबंध में अन्य व्यवस्थायें उ0प्र0 शासन के शासनादेश के अनुसार होगी। उसको प्रत्येक तीसरे वर्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परीक्षण कराकर, इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि विकलांगता बनी हुई है, तथा वह अपनी जीविका कमाने में समर्थ नहीं है।

**(छ) पड़्यंत्र युक्त मृत्यु-**

यदि कर्मचारी/अधिकारी की मृत्यु में परिवार के किसी सदस्य का षड्यंत्र पाया गया तो वो समस्त लाभों से वंचित हो जायेगा। जब तक मुकदमा चलेगा, तब तक किसी को कोई भुगतान नहीं होगा। मुकदमें में निर्णय के अनुसार, अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(ज) वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी-

पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20% प्रतिमाह।
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30% प्रतिमाह।
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40% प्रतिमाह।
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह।
100 वर्ष या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह।

(झ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन नगर निगम, शाहजहाँपुर के कर्मचारी सेवानिवृत्त सुविधा पर भी लागू होंगे।

**7-सेवा-निवृत्ति पेंशन-**

(i) अधिवर्ष निवृत्ति अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान की धनराशि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर लागू प्रकिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रूपये से अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां भी नियमानुसार गणना करने पर मासिक निवृत्ति वेतन में रूपये से कम कोई धन हो तो वह अगले रूपये में बदल दी जायेगी।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पेंशनरों को मंहगाई भत्ता या अन्य प्रकार का कोई राशि उसी के अनुसार नगर निगम के पेंशनरों को देय होगी। जो नगर आगत से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर दी जा सकेगी।

(iii) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन नहीं की जायेगी।

#### पेंशन का आंगणन—

पेंशन की गणना सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 486 तथा 487 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि दस माह पूर्व के औसत वेतन के आधार पर की जाती थी। छठवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार शासनादेश संख्या-3-1508/दस दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू है में यह आदेश जारी किये गये हैं कि यदि सेवानिवृत्त की तिथि को प्राप्त बैंड पे0 का योग, पिछले दस माह की पारिलब्धियों अर्थात् बैंड ग्रेड पे0 के औसत से अधिक हो तो अन्तिम तिथि के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जायेगी। पेंशन की दर समय-समय 30प्र0 सरकार के अनुरूप पुनरीक्षित की जा सकेगी।

#### उदाहरण—

यदि कोई कर्मचारी 31 जुलाई, 2012 को अपराहन 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हुआ और उसका 31 जुलाई, 2012 को बैंड 15,600-39,100 पे में वेतन रु0 21,530.00 रहा तो—

बैंड वेतन रु0	21,530.00
ग्रेड वेतन रु0	5,400.00
योग . .	<u>26,930.00</u>

अतः योग का 50 प्रतिशत पेंशन रु0 13465.00 प्रतिमाह, यदि इन्होंने कम से कम 20 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी कर ली हो, देय होगी। उल्लेखनीय है कि पहले पूर्ण पेंशन 50 प्रतिशत उन्हीं को देय होगी थी जिनकी शासनादेश संख्या-3-1508/दस, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा इसे घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।

ग्रेच्युटी पूर्व की भांति 33 वर्ष या अधिक की सेवा में ही उसका आधा अर्थात् साढ़े सोलह गुना या रु0 10.00 लाख अधिकतम देय होगी।

33 वर्ष से कम सेवा में उसी अनुपात में ग्रेच्युटी घटा दी जायेगी। इस प्रकार पेंशन की धनराशि रु0 13,465.00 पर शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर मंहगाई राहत का भुगतान भी किया जायेगा।

यदि क्वालिफाइंग सेवा 20 वर्ष से कम होगी तो उसी अनुपात में पेंशन भी कम देय होगी। जैसे कि यदि उपरोक्त उदाहरण में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की क्वालिफाइंग सेवा 18 वर्ष हो, तो उसको—

रु0 13,465.00 का 18/20=	रु0 12,118.50 अर्थात्
रु0 12,119.00 प्रतिमाह पेंशन देय होगी।	

पेंशन की अर्हता हेतु कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक—

उल्लेखनीय है कि सी0एस0आर0 अनुच्छेद 474 के अनुसार पेंशन की अर्हता हेतु कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। यदि किसी की सेवा 9 ही वर्ष हो, तो उसे कोई पेंशन देय नहीं होगी, उसको केवल अंतिम दिन के बैंड वेतन ग्रेड-मंहगाई भत्ता के योग के 9 गुणा के बरबस धनराशि, सर्विस ग्रेच्युटी के रूप में एकमुश्त स्वीकृत कर दी जायेगी।

#### 8-राशिकरण (कम्यूटेशन)—

नगर निगम, शाहजहाँपुर में राशिकरण की सुविधा देय न होगी।

#### 9-नगर निगम पावतों की वसूली—

(1) कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पेंशन की धनराशि में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को नगर निगम द्वारा देय तथा वसूल की जा सकने योग्य धनराशि वसूल की जा सकती है।

#### बर्खास्तगी का प्रभाव—

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो तो साधारणतयः उसे अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पारिवारिक पेंशन देय न होगी किन्तु यदि कार्य कारण

समिति ऐसा निश्चय करे तो विनियम (4) के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के घनौक का आधा भाग दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती है।

(3) शासन द्वारा अपनायी गयी नीति एवं शासनादेशों का अनुपालन एवं उसी रीति से संशोधन भी किये जा सकेंगे।

#### 10-निवृत्ति वेतन निधि तथा अंशदान-

इन विनियमों के अन्तर्गत जिन पर यह विनियम लागू होंगे उनके वेतनमान के उच्चतम तथा देय महंगाई भत्ते के योग के 15% प्रतिमाह की दर से अथवा समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येक मास उस तिथि से जिससे उसका वेतन देय हो, निकालकर सेवानिवृत्ति वेतन निधि में जमा किया जायेगा यह निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोली जायेगी। यदि किसी समय उपरोक्त खाते में सेवा निवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार धन न हो तो नगर आयुक्त, नगर निगम निधि से आवश्यक अग्रिम देंगे और बाद में उस निवृत्ति वेतन निधि से निकल कर निगम निधि में जमा करेंगे अथवा देय पेंशन अंशदान में समायोजित करेंगे। पेंशन निधि में धन उपलब्ध होने पर उसे विनियोजित भी कराया जा सकता है।

#### 11-निवृत्ति वेतन और उपादान की स्वीकृति विधि-

(क) प्रत्येक कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके महीने के भीतर उसके विभागीय अधिकारी/अधिकृत द्वारा प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में उल्लिखित की जायेगी।

(ख-1) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच अन्वेषण के पश्चात् परिणाम अभिलिखित कर दिये जाने चाहिए।

(ख-2) सेवा की अविच्छिन्नता समानान्तर प्रमाण-पत्र पर निर्धारित की जानी चाहिए। जहां तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षों की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए प्रथम वर्ष की सेवा यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका स्केल रजिस्टर, एक्वेन्टेन्स रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहिए। यदि इस प्रकार के लेखा रिकार्ड उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहिए। यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती, प्रमाण-पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अन्तिम 3 वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पूर्व की सेवाकाल को भी सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उनके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए।

(ख-3) यदि किसी सेवाकाल का (ख-2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है और उस काल में उपलब्ध किये गये संवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिए स्वीकृति सेवाकाल निम्न प्रकार निकाला जाये-

(i) उपार्जित अवकाश के लिए यह माना जाना चाहिए कि अधिकारी/कर्मचारी ने पूरा अवकाश उपभोग किया है। अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में जब तक अन्यथा प्रमाण न हो यह माना जाना चाहिये कि उनका उपयोग किया गया है। यदि अधिकारी/कर्मचारी ने अवैतनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न हो शंकाजनक तो किसी एक वर्ष में ऐसे अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस प्रकार का अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षों में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा।

(ii) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते हैं और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवा काल के प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी। जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अभिलिखित नहीं है।

(ख-4) यदि सेवा पुस्तिका या सेवा रोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिये। जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हो तो उस काल के लिए अधिकारी से सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिये। यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिये।

(ख-5) पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो। साधारण तथा सारी सेवा के सम्बन्ध में प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जांच की जानी चाहिए—

(क) स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

(ख) अन्तिम तीन वर्षों की अर्हकारी सेवा।

(ग) चुने गये किसी दो या तीन वर्षों की सेवा।

(घ) यदि सेवा-पुस्तिका में जन्म-तिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियां हों तो उनकी जांच की जानी चाहिये।

(ङ) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का सेवा काल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं है। उसकी सेवा पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों के प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजेंगे। लेखाधिकारी सेवा-निवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जांच कर, मुख्य नगर लेखा परिक्षक को जांच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे। उनकी जांच के बाद सेवा-निवृत्ति वेतन तथा उपादान का धनांक नगर आयुक्त अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षा द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति भुगतान आदेश प्रपत्र "द" में सम्बन्धित अधिकारी को भेजी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर आयुक्त अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) को यह संतोष हो जाय कि किसी अधिकारी/कर्मचारी के उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र-झ में घोषणा-पत्र देने पर प्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का धन लेखाधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण जिसे वह अविलम्ब कर सके, निर्धारित किये मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और मासिक सेवानिवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा।

#### 12-सेवानिवृत्ति वेतन तथा उपादान के भुगतान की विधि—

(i) सेवानिवृत्ति वेतन लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चेक द्वारा अथवा सीधे से0नि0 कर्मचारी/पारिवारिक पेंशननर के बैंक खाते में किया जायेगा। भुगतान के लिए सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा प्रपत्र-ज में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। प्रपत्र-ज में निवृत्ति भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा कोई विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में जीवित होने के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदोपरान्त पेंशनर को चेक दी जायेगी। इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान रीति काम में लाई जायेगी।

(ii) यदि कोई अधिकारी अपने सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा चाहता है तो प्रपत्र-ज भरकर तथा उस पर पिछले मरा की सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान की रीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपात्रित (गजटेटड) राजकीय अधिकारी से उसकी मोहर के साथ प्रमाणित कराकर शेष धनराशि का मनीआर्डर भेजेंगे और किये गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश-पत्र को कार्यालय प्रतिलिपि में प्रविष्टि करेंगे किसी दशा में 12 मास से अधिक लगातार भुगतान इस प्रकार नहीं किया जायेगा। एक वर्ष बाद भुगतान करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश-पत्र प्रतिलिपि में लेखाधिकारी प्रविष्टियों को पूरा करेंगे।

#### 13-सामान्य भविष्य निधि—

जिन अधिकारी पर यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा और उसमें अपने 10 नया पैसा प्रति रूपये से कम न होते हुए अपना अंशदान प्रतिमास जमा करना पड़ेगा।

नगर आयुक्त/कर्मचारी प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का अंशदान उनके मासिक वेतन से काटकर सामान्य भविष्य निधि के खाते में उनके नाम से खुले बैंक खाते में जमा करेंगे।

14-भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की 4 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा। जिससे उस पर ब्याज मिल सके।

15-नगर आयुक्त का यह अधिकार होगा कि वह अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत-पत्रों में विनियोजित कर दें।

16-प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन के भुगतान करने के लिए नामांकन-पत्र विनियम 5 के अनुसार देना होगा। यह नामांकन-पत्र नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे, और प्राप्ति का दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने तत्वाधान(कस्टडी) में रखे जायेंगे।

17-सामान्य भविष्य निधि में हुए धन में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो नगर आयुक्त उसे अस्थाई ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नांकित विधि अपनाई जायेगी-

(i) साधारणतया ऋण का धनांक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन अथवा उसकी निधि के आधे जो भी कम हो, अधिक न होगी। विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं। लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि जमा धनराशि के आधे अथवा एक वर्ष के वेतन जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

(ii) यह ऋण कर्मचारी को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिये जायेंगे, जिनका वहन करना उनके धार्मिक तथा सामाजिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिर्वाय हो। इन व्ययों में अपने तथा अपने परिवार को शिक्षा, उनके बीमारी विवाह अथवा, मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।

(iii) यह ऋण अधिकारी/कर्मचारी से 20 किस्तों में वसूल जायेंगे। इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किस्त होगी।

(iv) ऋण ब्याज सहित पूरा होने के 12 महीने बाद दूसरा ऋण साधारणतया दिया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया सकता है।

18-यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि में जमा धन से अपनी जीवन बीमा पालिसी का प्रीमियम अदा करने के लिए पालिसी को नगर आयुक्त के नाम प्रतिग्रहण (प्लेज) कर के अग्रिम ले सकता है। 'प्लेज' की हुई पालिसी नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण (कस्टडी) में रहेगी। पालिसी की प्रीमियम के लिए अग्रिम को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कारपोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार की पालिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की होगी। पालिसी परिपक्व (मिच्योर) होने पर उसका रूपया वसूल करके कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा।

यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पालिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवानिवृत्ति हो जाये तो नगर आयुक्त अधिकारी/कर्मचारी के हित में पालिसी प्रतिग्रहण करके उसे लौटा देंगे।

19-किसी अधिकारी/कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसके नगर निगम की सेवा में निवृत्ति होने पर लौटा दिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी/कर्मचारी चाहें तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नांकित कार्यों के लिए उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार नगर आयुक्त की स्वीकृति से सेवानिवृत्ति होने से पूर्व भी निकाल सकता है-

(i) अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने के लिए या इस सम्बन्ध में लिए गये ऋण को अदा करने के लिए अथवा लड़की/लड़के के विवाह करने के लिए इन प्रयोजनों हेतु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से 10 वर्ष छः माह का वेतन अथवा जमा धनराशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है।

(ii) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिए तीन महीने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे धन तक जो भी कम हो-

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक), औद्योगिक (टेक्नीकल), कला सम्बन्धि (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों कोर्सज के लिए और:

(ख) भारत में ऐसे चिकित्सा 'मेडिकल' अभियांत्रित 'इंजीनियर' तथा अन्य औद्योगिक 'टेक्निकल' अथवा विशिष्ट 'स्पेशलाइज्ड' पाठ्यक्रमों के लिए जिनकी पढ़ाई का समय 3 वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इण्टरमीडिएट के बाद ही हो, दोनों ही दशाओं में धन निकालने के लिए 6 माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को संतोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में, जिसके लिए वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया है।

15 हि०ग०-6

ऐसे न करने पर अग्रिम लिया गया धन नगर आयुक्त को सामान्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा। जब तक कि नगर आयुक्त उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। यदि अधिकारी/कर्मचारी नगर आयुक्त को या तो व्यय के विषय में संतोष दिला सके अथवा बचा हुआ धन लौटाये तो नगर आयुक्त वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों में बसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

**नोट**—उक्त विनियम में यदि किसी विन्दु पर अस्पष्टता की स्थिति बनती है तो राज्य सरकार के पेंशन नियमों के अनुसार उक्त विन्दु की व्याख्या की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशन नियमों के संशोधन नगर निगम, शाहजहाँपुर पर भी लागू होंगे।

### नगर निगम, शाहजहाँपुर

#### प्रपत्र—क

#### विनियम—5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/कर्मचारी के परिवार तथा वह उसके सभी सदस्यों को नामांकन करना चाहें)

मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में नगर आयुक्त स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये:

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थये जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हाने पर अधिकारी प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन-पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक..... को दिये नामांकन को रद्द करता है—  
**टिप्पणी**—अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखि गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थाना को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

.....पद.....कार्यालय.....के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

### नगर निगम, शाहजहाँपुर

#### प्रपत्र—ख

#### विनियम—5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/कर्मचारी का परिवार हो तथा वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकन करना चाहें।)

मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा एक से अधिक निम्नांकित को, जो मेरे परिवार का सदस्य है नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम सेवा में रहते मृत्यु होने की

दशा में नगर आयुक्त स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये:

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थये जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकारी प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकारी प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन-पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक..... को दिये नामांकन को रद्द करता है—

**टिप्पणी**—अधिकारी/कर्मचारी क इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

दिनांक..... माह..... सन्..... को..... बजे..... स्थान..... में नामांकन किया।

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह से भरा जाना चाहिये जिससे उपादान भविष्य निधि का पूरा धन भाग विभाजित हो जाये। इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग प्रारम्भ में किये गये नामांकित व्यक्तियों को दिये गये समस्त धन/भाग के बराबर हो।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

..... पद..... कार्यालय..... के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र—ग

विनियम—5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/कर्मचारी का परिवार न हो तथा वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकन करना चाहें।)

मेरा कोई परिवार नहीं है मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में

नगर आयुक्त स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये:

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थयें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक..... को दिये नामांकन को रद्द करता है—

**टिप्पणी**—अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थाना को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

पद.....

कार्यालय.....

के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

**नगर निगम, शाहजहाँपुर**

प्रपत्र-घ

**विनियम-5 (5)**

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/कर्मचारी का परिवार न हो और वह किसी एक से अधिक सदस्यों को नामांकन करना चाहें।)

मेरा कोई परिवार नहीं है मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में नगर आयुक्त स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये:

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थयें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक..... को दिये नामांकन को रद्द करता है—

**टिप्पणी**—अधिकारी/कर्मचारी क इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थाना को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

.....पद.....कार्यालय.....के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

**नगर निगम, शाहजहाँपुर**

**प्रपत्र—ख**

**विनियम—12 (1) (क)**

लेखा अधिकारी को सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे जाने व पत्रों की तालिका—

- 1—सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र ( नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित फार्म में)।
- 2—अशक्तता का प्रमाण-पत्र (यदि अशक्तता के कारण पेंशन मांगी जाती हो)।
- 3—सेवा पुस्तिका पूरी करके।
- 4—अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र।
- 5—औसत वेतन उपलब्धियों का विवरण।
- 6—(क) साक्षीकृत दो नमूने के हस्ताक्षर (अटैस्टेड स्पेसीमैन सिग्नेचर)।

(ख) दो स्लिप जिन पर दायें हाथ के अंगूठे व उंगलियों के साक्षीकृत चिन्ह हो तथा साक्षीकृत पासपोर्ट साईज फोटो।

- 7—किसी अन्य पेंशन व ग्रेज्युटी न पाने का पेंशनर का घोषण-पत्र।

लेखाधिकारी,

नगर निगम, शाहजहाँपुर।

ऊपर दिये गये कागजात श्री/ श्रीमती.....पर को पेंशन अथवा उपादान स्वीकृत करने के लिये भेजे जा रहें हैं, कृपया इन्हें चेक करें आगे की कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी।

**नगर निगम, शाहजहाँपुर**

**प्रपत्र—छ**

**विनियम—12 (ख-5)(ड)**

सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान अदेश पत्रिका संख्या ( सेवानिवृत्ति वेतन वाले अधिकारी के लिये) बजट मद जिससे देय—

निवृत्त वेतन प्राप्तकर्ता का नाम—

निवृत्त वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति	निवास स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन धनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

लेखाधिकारी,

नगर निगम, शाहजहाँपुर

आगामी नोटिस तक प्रत्येक माह के समाप्त होने पर, आप श्री.....पुत्र श्री.....को रु0..... (शब्दों में).....इन्कम टैक्स काटकर (उनकी सेवानिवृत्ति वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित फार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें) यह भुगतान दिनांक..... से प्रारम्भ होगा।

हस्ताक्षर,  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

**टिप्पणी:—**इस आदेश द्वारा पेंशन निम्नांकित दशाओं को छोड़कर केवल पेंशनर को देय होगी—

(क) उन व्यक्तियों की, जिनके लिये नगर आयुक्त विशेष रूप से आदेश कर दें।

(ख) उन व्यक्तियों को, जो बीमार तथा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वे पहले से नगर आयुक्त से आदेश प्राप्त कर लें उपरोक्त में से प्रत्येक दशा में भुगतान किसी नगर निगम के अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति के जिनके लिये नगर आयुक्त अपनी स्वीकृति दे, के द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के जीवित न होने का प्रमाण-पत्र देने पर भुगतान की जायेगी।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़कर, जो किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कीड के अन्तर्गत किसी श्रेणी के 1 के अधिकारों का प्रयोग करता हो।

(घ) ऊपर की (क) (ख) व (ग) प्रत्येक दशा में लेखाधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त सर्टीफिकेट के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी के जीवित रहने का सबूत प्राप्त कर लेना चाहिये।

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र—छ

विनियम—12 (ख-5)(ड)

सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका संख्या (सेवानिवृत्ति वेतन वाले अधिकारी के लिये) बजट मद जिससे देय—

निवृत्त वेतन प्राप्तकर्ता का नाम—

निवृत्त वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति	निवास स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन धनांक	टिप्पणी
माह	जिसका सेवानिवृत्ति वेतन देय है	भुगतान का दिनांक वाउचर संख्या		लेखाधिकारी के हस्ताक्षर	
1	2	3		4	

## नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-ज

विनियम-12 (2)

सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान

आदेश पात्रिका क्रम संख्या.....

वाउचर संख्या.....

दिनांक.....

मुझे .....सन्.....के लिये प्राप्त सेवानिवृत्ति का.....मैने प्राप्त किया

पूरा प्राप्त धन.....

कटौती टैक्स.....

अन्य.....(टिकट)

प्रमाणित किया है कि.....जीवित है तथा व मेरे सम्मुख आज उपस्थित हुये।

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-झ

विनियम-12 (ख-5)(ड)

(सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु)

चूंकि.....(यहां सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पद नाम लिखिये) ने रु0.....(रु0.....) प्रतिमाह मेरा पेंशनर में तथा (अथवा रु0.....) उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित धन के स्वीकार करने में मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूँ कि पेंशन/उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान जो मुझे विनियमों के अन्तर्गत देय हो उससे अधिक होने की दशा में संशोधनीय (सबजेक्ट टू रिवीजन) है तथा मैं वचन देता हूँ कि इस जिसका मैं अंतिम रूप से अधिकारी होऊ, अधिक भुगतान किया गया धन मैं लौटा दूंगा।

मैं इस लेख द्वारा यह भी घोषण करता हूँ और वचन देता हूँ कि नगर निगम, शाहजहाँपुर कर्मचारीयों के सेवानिवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि, 1997 विनियम-3 के उपनियम 2 (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश को मैं उत्तराधिकारी को दिये मेरी पेंशन से काट लें।

साक्षी के हस्ताक्षर नाम पता सहित

1-.....

2-.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पद नाम.....

(यदि नगर निगम कर्मचारी हो)

स्टेशन.....

दिनांक.....

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-ट

विनियम-12 (ख-5)(ड)

घोषण-पत्र

(सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु)

चूंकि.....(यहां सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पद नाम लिखिये) ने रु०.....(रु०.....)

प्रतिमाह मेरा मेरी पेंशन में तथा (अथवा रु०.....) उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित धन के स्वीकार करने में मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूँ कि पेंशन/उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान जो मुझे विनियमों के अन्तर्गत देय हो उससे अधिक होने की दशा में संशोधनीय (सबजेक्ट टू रिवीजन) है तथा मैं वचन देता हूँ कि इस जिसका मैं अंतिम रूप से अधिकारी हूँ, अधिक भुगतान किया गया धन मैं लौटा दूंगा।

मैं इस लेख द्वारा यह भी घोषण करता हूँ और वचन देता हूँ कि नगर निगम, शाहजहाँपुर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि, 1997 विनियम-3 के उपनियम 2 (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश को मैं उत्तराधिकारी को दिये मेरी पेंशन से काट लें।

1-साक्षी के हस्ताक्षर.....

1-पूरा पता.....

2- साक्षी के हस्ताक्षर पता व पेशा.....

2-पूरा पता.....

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-ठ

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन स्वीकृत हेतु औपचारिक (फार्मल) प्रार्थना-पत्र (मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र देने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला घोषणा-पत्र)।

प्रेषक,

सेवा में,

नगर आयुक्त

नगर निगम, शाहजहाँपुर।

विषय-मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे दिनांक.....को सेवा अवधि पूर्ण करके सेवानिवृत्ति होना है, क्योंकि मेरा जन्म दिनांक.....है। इस कारण निवेदन है कि कृपया मेरी पेंशन व उपादान जो मुझे प्राप्त है, मेरे सेवानिवृत्ति से तुरन्त स्वीकृत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2-मैं यह घोषण करता हूँ कि मैंने इस पेंशन तथा उपादान जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दे रहा हूँ के योग्य बनाने वाली सेवा के किसी भाग के लिये न किसी पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है और न कोई पेंशन अथवा उपादान प्राप्त ही किया है तथा मैं इसके बाद इस प्रार्थना-पत्र तथा इस पर हुये आदेशों का उल्लेख किये बिना कोई प्रार्थना-पत्र दूंगा।

3-मैं निम्नलिखित पत्र संलग्न कर रहा हूँ-

(1) अपने हस्ताक्षर के दो प्रमाणित नमूना।

(2) परिपत्र के आकार के अपने दो प्रमाणित फोटो।

(3) दो पार्श्विया (रिलिफ) जिसमें से प्रत्येक पर मेरे दायें हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों के चिन्ह (थम्ब एण्ड फिंगर इम्प्रेशन्स) है तथा

(4) दो पार्श्वियां जिसमें प्रत्येक पर मेरी ऊंचाई और पहचान चिन्हों के विवरण दिये हैं।

(5) मेरा वर्तमान पता.....तथा सेवानिवृत्ति के बाद का पता.....होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर आवेदक।

### नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-ड

प्रथम-भाग

क्र०सं०

दिनांक.....

सेवानिवृत्ति (पेंशन) अथवा उपादान तथा मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान हेतु प्रार्थना-पत्र-

1-प्रार्थी का नाम.....

2- पिता का नाम.....

3-धर्म तथा राष्ट्रीयता.....

4-स्थायी निवास का पूरा पता.....

5-वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति का पद.....

6-(क) सेवा प्रारम्भ का दिनांक.....

(ख) सेवा निवृत्ति का दिनांक.....

7-रूकावती (इन्सट्रुपशन्स) तथा अनर्हकारी वर्ष मास दिन (नान-क्वोलाफाइंग) सेवा नियम विवरण सहित सेवा काल.....

8-प्रार्थी का सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान का प्रकार.....

9-औसत परिलब्धियां.....

10- प्रस्तावित पेंशन होने का दिनांक.....

11-प्रस्तावित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान.....

12-पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक.....

15 ई० ग० - 7

13-क्या नामांकन प्रस्तुत किया है.....

(क) परिवारिक सेवानिवृत्ति उपादान हेतु.....

(ख) मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान हेतु.....

14-इसवी, सन् के अनुसार प्रार्थी का जन्म दिनांक.....

15-ऊंचाई (हाइट).....

16-(क) पहिचान चिन्ह.....

(ख) बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों के चिन्ह..... अंगूठा  
तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका।

17-प्रार्थी द्वारा पेंशन/उपादान हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने का दिनांक.....

18-यदि प्रार्थी अंशदायी (कन्द्रीब्यूट्री) भविष्य निधि का सदस्य हो तो कृपया उनकी लेखा संख्या एवं विवरण दीजिये.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर-

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर,  
नाम व पद मुहर।

नगर निगम, शाहजहाँपुर

(प्रपत्र-ड)

द्वितीय भाग

स्थापना एरआवलेशमेत	नियुक्ति पद	वेतन	स्थानापन्न	सेवा आरम्भ का दिनांक	सेवा समाप्ति का दिनांक	सेवा माना गया समय	सेवा माना गया समय	सेवा न माना गया समय	टिप्पणी	सत्यापन का आधार	लेखाधिकारी की टिप्पणी	मुख्य नगर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						वर्ष मास दिन	वर्ष मास दिन					

लेखाधिकारी

मुख्य नगर लेखा  
परीक्षा

अर्हकारी सेवा का कुल समय

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर,  
पद नाम की मोहर

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-ड

तृतीय भाग

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी-

1-प्रार्थी के चरित्र और पिछले आचरण के विषय में।

2-यदि कोई निलम्बन अथवा पदोन्नति हो तो उसका विवरण।

3-प्रार्थी द्वारा पहले प्राप्त उपादान अथवा पेंशन, यदि कोई हो तो उसका विवरण।

4-अन्य टिप्पणी यदि कोई हो।

5-अभ्यर्थित (क्लेम्ड) सेवा के संस्थित (इस्टैब्लिस्ड) होने तथा स्वीकार/अस्वीकार किये जाने के विषय में विभागीय अधिकारी/विभागीय निश्चित मत (स्पेशिफिक ओपीनियन)।

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष,  
के हस्ताक्षर, पद नाम मोहर।

(ख) लेखा विभाग की टिप्पणी—

क्र०सं०

पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर दिये विवरण की जांच सेवा पुस्तिका सेवा सूची (सर्विस रोल) के लेखों से की गई।  
अर्हकारी सेवा निम्न प्रकार निकलती है.....वर्ष .....मास .....दिन.....

1—मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान हेतु।

2—सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) हेतु।

तथा उपरोक्त के लिये धन निम्न प्रकार निकालते हैं।

1—मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति

उपादान रु०.....(शब्दों में रु०.....)

2—सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) रु०.....(शब्दों में रु०.....)

लेखाधिकारी,  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

(ग) लेखा परीक्षा विभाग, नगर निगम, शाहजहाँपुर।

क्र०सं०

दिनांक.....

श्री.....पद.....के मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) के मामले जिसका विवरण इस पत्र में दिया हुआ है जो मैंने जांच की। मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान का रु०.....(पेंशन में रु०.....) निकलता है तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) का धन रु०.....(शब्दों में रु०.....) प्रति मास होता है, जिसका भुगतान दिनांक.....से प्रारम्भ होगा।

**टिप्पणी**—यदि उपरोक्त से कोई धनांक अथवा दिनांक लेखाधिकारी द्वारा दिये गये धनांक अथवा दिनांक से भिन्न हो तो उसकी भिन्नता के स्पष्टीकरण अलग लेखा में दिये जाने चाहिये।

मुख्य नगर लेखा परीक्षक  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र—ड

चतुर्थ भाग

क्र०सं०

दिनांक.....

(घ) सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के आदेश—

अधोहस्ताक्षरी ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि श्री.....द्वारा की गई सेवा पूर्ण रूप से संतोषजनक रही है तथा उस आदेश द्वारा रु०.....(रु०.....) पूरा मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) जिसका धनांक रु०.....(रु०.....) प्रतिमाह होता है, स्वीकार करता हूँ। इस पेंशन का भुगतान.....से प्रारम्भ होगा।

अधोहस्ताक्षरी ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि श्री.....द्वारा की गई सेवा पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रही है तथा आदेश दिया जाता है कि इन विनियमों के अनुसार देय सेवानिवृत्ति (पेंशन/मृत्यु

सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान का पूरा धनांक सं०.....(यहां या निश्चित धन दीजिए अथवा प्रतिशत लिखिये) से कम कर दिया जाये। इस पेंशन का भुगतान.....से प्रारम्भ होगा।

यह आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि यदि भविष्य में किसी समय पेंशन का धनांक सेवानिवृत्ति लौटाना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति अधिकारी से इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करते हुये घोषण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इस आदेश के साथ संलग्न है।

मुख्य नगर अधिकारी  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

हस्ताक्षर,  
मुख्य नगर लेखा परीक्षक  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

संक्षेपांकी (डाकेट)

सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रार्थना-पत्र का दिनांक

प्रार्थी का नाम

अंतिम नियुक्ति पद

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति

उपादान अथवा सेवानिवृत्ति

वेतन पेंशन का प्रकार

स्वीकृति कर्ता अधिकारी

उपादान का स्वीकृति धनांक

सेवा नियुक्ति वेतन (पेंशन) का धनांक

भुगतान के प्रारम्भ का दिनांक

स्वीकृति का दिनांक.....सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश सं०.....निर्गत किया।

हस्ताक्षर  
लेखाधिकारी, नगर निगम, शाहजहाँपुर।

नगर निगम, शाहजहाँपुर

प्रपत्र-त

श्री.....भूतपूर्व.....

कार्यालय/विभाग के परिवार के लिये मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी/अवशेष उपादान/ग्रेच्युटी स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र •

1-प्रार्थी का पूरा नाम

2-मृत अधिकारी/सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशन) से सम्बन्धित (रिलेसनशिप)

3-जन्म दिनांक

4-यदि मृतक सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) था तो उसकी सेवानिवृत्ति का दिनांक:

5-अधिकारी/सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) की मृत्यु का दिनांक:

6-प्रार्थी का पूरा पता:

7-प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का चिन्ह

8-अंगूठे तथा उंगलियों के चिन्ह तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिका

9-साक्षी का नाम व पूरा पता, हस्ताक्षर

1-.....

2-.....

### टिप्पणी-

1-उस ग्राम नगर या परगना जिसमें प्रार्थी निवास करता हो, दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व प्रमाणीकरण किया जाना चाहिये। उन व्यक्तियों का पद नाम या पेशा उनके नाम के नीचे कोष्ठक में दिया जाना चाहिये।

2-परिवारिक पेशन के साथ भेजा गया विवरण तथा हस्ताक्षर/अंगूठा और उंगलियों के चिन्ह दो प्रतियों में तथा उस नगर ग्राम या परगना जिसमें प्रार्थी निवास करता हो के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रामाणित होने चाहिये।

3-यदि प्रार्थी, मृत अधिकारी सेवा निवृत्ति (पेंशनर) का आवयस्क सगा भाई हो तो आयु की पुष्टि के लिये आयु का असली प्रमाण-पत्र (दो प्रामाणित प्रतियों सहित) जिसमें प्रार्थी का जन्म दिनांक दिया हो लगाना चाहिये। आवयस्क सत्यापन के बाद असली प्रमाण-पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायेगा।

एस0 के0 सिंह,  
अपर नगर आयुक्त,  
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में मेरा नाम चन्द्र कांत सावला पुत्र भौंजी भाई अंकित है, त्रुटिवश मेरे बैंक के खाता संख्या 1911133610 में मेरा नाम चन्द्र कांत अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे चन्द्र कांत सावला पुत्र भौंजी भाई के नाम से जाना व पहचाना जाये।

चन्द्र कांत सावला,  
पुत्र भौंजी भाई,  
निवासी-18 पत्रिका मार्ग,  
सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211021।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरी माता जी का नाम डौली अंकित हो गया है जोकि गलत है जबकि मेरी माता जी का वास्तविक नाम गुलफिशा है। अतः भविष्य में मेरी माता जी को गुलफिशा के नाम से पुकारा जाये व जाना पहचाना जाये।

मुनीर अली,  
पुत्र श्री इमरान अली,  
निवासी-134/74, मुहल्ला अकब,  
कोतवाली शास्त्री मार्केट, बरेली-243001।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम अनिकेत अंकित है। मेरा आधार कार्ड संख्या 731240278349 व पैन नं0-DTPPA8346J में मेरा नाम अनिकेत सक्सेना अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे अनिकेत सक्सेना के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

अनिकेत सक्सेना,

पुत्र मिलिन्द सक्सेना,

निवासी-31, अंसल नेस्ट, सेक्टर-के-1,

आशियाना कालोनी, लखनऊ-226012।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स धामपुर कोल्ड स्टोरेज, नहतौर रोड, धामपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 10 अप्रैल, 1997 को पार्टनर श्रीमती फूल कुमारी, श्रीमती उषा अग्रवाल एवं श्रीमती नीना अग्रवाल ने उपरोक्त फर्म से रिटायरमेंट लेकर अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है। श्री ज्ञानेन्द्र कुमार एवं श्री दिनेश कुमार फर्म में शामिल हो गये हैं। उक्त तिथि को फर्म में श्रीमती रेनू अग्रवाल, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जैन एवं श्री दिनेश कुमार पार्टनर के रूप में शामिल रहे। फर्म के पार्टनर दिनेश कुमार अग्रवाल की दिनांक 19 मई, 2021 को एवं ज्ञानेन्द्र कुमार जैन की दिनांक 30 अप्रैल, 2018 एवं फूल कुमारी की दिनांक 17 जनवरी, 2005 को मृत्यु हो गयी है। दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को फर्म में श्री अनिरुद्ध अग्रवाल शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर होने वाले एवं मृतक पार्टनरों की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर श्रीमती रेनू अग्रवाल एवं श्री अनिरुद्ध अग्रवाल हैं।

पार्टनर,

रेनू अग्रवाल,

नहतौर रोड, धामपुर,

जिला बिजनौर, (यू0पी0)।

**सूचना**

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आद्या प्रसाद जायसवाल, मु0 व पो0 कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर साझेदारी डीड दिनांक 20 जून, 2017 की सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, जनपद गोरखपुर के यहां तीन पार्टनर क्रमशः श्री विश्वम्भर नाथ जायसवाल पुत्र आद्या प्रसाद जायसवाल, निकट मारवाड़ी धर्मशाला, कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर व श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री आद्या प्रसाद जायसवाल, निकट मारवाड़ी धर्मशाला, कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर व श्री सुभाष चन्द्र जायसवाल पुत्र स्व0 राम आसरे प्रसाद जायसवाल, मारवाड़ी मन्दिर के पास कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर रजिस्ट्रेशन संख्या जी 2119 पर पंजीकृत है तथा फर्म में दिनांक 09 जून, 2022 को साझेदार श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री आद्या प्रसाद जायसवाल, निकट मारवाड़ी धर्मशाला, कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर व श्री सुभाष चन्द्र जायसवाल पुत्र स्व0 राम आसरे प्रसाद जायसवाल मारवाड़ी मन्दिर के पास कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर से अलग हो गये तथा उक्त फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 09 जून, 2022 से श्रीमती अर्चना देवी पत्नी श्री विश्वम्भर नाथ जायसवाल, निवासी 113, देवरिया रोड नियर मारवाड़ी मन्दिर गिरधरगंज कूड़ाघाट खोराबार उर्फ सूबा बाजार, जनपद गोरखपुर साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। अब फर्म में वर्तमान दो पार्टनर मौजूद हैं।

विश्वम्भर नाथ जायसवाल

साझेदार।

**सूचना**

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स साईं ट्रांसपोर्ट म0नं0 113 कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर साझेदारी डीड दिनांक 31 मार्च, 2017 को सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, जनपद गोरखपुर के वहां तीन पार्टनर क्रमशः श्री प्रेम चन्द्र जायसवाल पुत्र स्व0 राम आसरे प्रसाद जायसवाल, निवासी मारवाड़ी मंदिर के पास कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर व श्री आद्या प्रसाद जायसवाल, पुत्र स्व0 किशोरी लाल जायसवाल, निवासी म0नं0 113 कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर व श्री मुन्नी लाल जायसवाल

पुत्र स्व0 किशोरी लाल जायसवाल, निवासी निकट मारवाड़ी धर्मशाला कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर रजिस्ट्रेशन संख्या जी-3374 पर पंजीकृत है तथा फर्म में दिनांक 09 जून, 2022 को साझेदार श्री आद्या प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 किशोरी लाल जायसवाल, निवासी म0नं0 113 कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर व श्री मुन्नी लाल जायसवाल पुत्र स्व0 किशोरी लाल जायसवाल, निवासी निकट मारवाड़ी धर्मशाला कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर से अलग हो गये तथा उक्त फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 09 जून, 2022 से

श्रीमती रीना जायसवाल पत्नी श्री प्रेम चन्द्र जायसवाल, निवासी निकट मारवाड़ी धर्मशाला कूड़ाघाट, जनपद गोरखपुर साझेदारी के रूप में सम्मिलित किया गया है। अब फर्म में वर्तमान दो पार्टनर मौजूद हैं।

रीना जायसवाल,  
साझेदार।

### सूचना

सूचित करता हूँ कि मैं प्रद्युमन स्व0 शिवधनी राय फर्म मेसर्स राजीव कुमार सिद्धेश्वर नगर कालोनी, पास चोचकपुर टैक्सी स्टैण्ड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पार्टनर हूँ। अस्वस्थ होने के कारण मैं फर्म से बाहर हो रहा हूँ। मेरी जगह राहुल राय पुत्र शशि कान्त राय पता म0नं0 8टी, टुकड़ा नगम्बर-1, शिवपुर, झारखण्डी महादेव, कुनरा घाट, गोरखपुर इस फर्म मेसर्स राजीव कुमार में सम्मिलित हो रहे हैं।

प्रद्युमन राय,  
पार्टनर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 नारायण एसोसिएट्स 7/11 शिव नगर कालोनी अल्लापुर, प्रयागराज के भागीदार राज नारायण सिंह का निधन दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को हो गया है तथा श्रीमती शारदा सिंह दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये फर्म से अलग हो गयी हैं। अब फर्म में कुल दो भागीदार हंस नाथ सिंह एवं अखण्ड

प्रताप सिंह हैं। जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः 60-40 प्रतिशत का होगा। फर्म से अलग हुई भागीदार का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

हंस नाथ सिंह,  
भागीदार,  
7/11 शिव नगर कालोनी  
अल्लापुर, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स अक्षय डवलपर्स, जे-129, पल्लवपुरम्, फेस-1, रुड़की रोड, मेरठ शहर-250002 की साझेदारी में श्री पवन कुमार वर्मा एवं श्री दीपक कुमार साझेदार थे। दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को दोनों साझेदारों श्री पवन कुमार वर्मा एवं श्री दीपक कुमार की आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी को विघटित कर दिया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नहीं है। यदि पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझेदारों की संयुक्त रूप से होगी। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पवन कुमार वर्मा,  
साझेदार,  
मेसर्स अक्षय डवलपर्स,  
जे-129, पल्लवपुरम्, फेस-1,  
रुड़की रोड, मेरठ शहर-250002।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माईन पॉवर सोल्युशन, एल-870, शास्त्रीनगर, मेरठ के साझेदार 1-उमंग गुप्ता, 2-सौरभ कौशिक, 3-अनुज गुप्ता थे, संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 21 मई, 2022 के अनुसार उमंग गुप्ता सेवानिवृत्त व प्रवीन कुमार गुप्ता, नवीन साझेदार की हैसियत से सम्मिलित हुये हैं, फर्म में वर्तमान साझेदार 1-सौरभ कौशिक, 2-अनुज गुप्ता, 3-प्रवीन कुमार गुप्ता हैं।

सौरभ कौशिक,  
साझेदार।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एस0आर0 ट्रेडर्स, सब्जीग्राम स्ट्रीट नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 29 जून, 2020 को श्री संजीव अग्रवाल पुत्र स्व0 प्रेमनाथ अग्रवाल, निवासी चौक मोनी, अमृतसर का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 29 जून, 2020 को अमित अग्रवाल पुत्र श्री सुमन अग्रवाल, निवासी म0नं0 61/62ए, आई0एम0ए0 कालोनी, आकाश एवेन्यू, फतेहगढ़ चुरायन रोड, अमृतसर पंजाब-143001 शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री अमित अग्रवाल, श्री अतुल अग्रवाल, श्री शरद कुमार गुप्ता व श्री राजीव कुमार गुप्ता हो गये हैं।

शरद कुमार गुप्ता,  
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "एस0आर0 ट्रेडर्स",  
सब्जीग्राम स्ट्रीट नजीबाबाद,  
जिला बिजनौर (यू0पी0)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मे0 गंगा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉप नं0-3 एण्ड-5, वैष्णो प्लाजा, सेक्टर-4 बी, आवास विकास कालोनी, आगरा-282007 को दिनांक 31 मई, 2022 से विघटित होने की सूचना देता हूँ-

फर्म के प्रथम पक्ष श्री गोकुल प्रसाद पुत्र श्री मुरे लाल, निवासी शॉप नं0-3 एण्ड-5, वैष्णो प्लाजा, बोदला रोड, आगरा दिनांक 31 मई, 2022 से उपरोक्त फर्म से अलग हो गये हैं और दिनांक 01 जून, 2022 से उपरोक्त फर्म का संचालन द्वितीय पक्ष श्री स्वतंत्र कुमार पुत्र श्री राज कुमार, निवासी सेक्टर-9, म0नं0-195, आवास विकास कालोनी, सिकंदरा, आगरा-282007 द्वारा प्रोपराईटरशिप के अधीन किया जा रहा है।

स्वतंत्र कुमार,

भागीदार,

मे0 गंगा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स,  
शॉप नं0-3 एण्ड-5, वैष्णो प्लाजा,  
सेक्टर-4 बी, आवास विकास कालोनी,  
आगरा-282007।